

पंचायती राज संस्थाओं की संरचना और महिला सशक्तीकरण पर प्रभाव

¹रतन सेन, ²डॉ. चेतना सिंह

¹भोद्यार्थी, ²पर्यवेक्षक

¹⁻²विभाग: राजनीति विज्ञान, प. एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

सार

इस अध्ययन का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की संरचना और उनके माध्यम से महिला सशक्तीकरण पर प्रभावों का विश्लेषण करना है। पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय संरचना (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और जिला पंचायत) महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर आरक्षण नीति और महिला प्रतिनिधित्व के माध्यम से। इस अध्ययन में रीवा जिले के उदाहरण के माध्यम से यह जांचा गया है कि पंचायतों ने महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक सशक्तीकरण में किस प्रकार योगदान दिया है। शोध में पाया गया कि पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है, लेकिन महिलाओं के नेतृत्व को लेकर अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं, जैसे पारंपरिक मानसिकताएं और सामाजिक दबाव। इन संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयासों से महिलाओं की सामाजिक स्थिति और उनके राजनीतिक अधिकारों में सुधार हुआ है, साथ ही उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार देखा गया है।

मुख्य भाव: पंचायती राज संस्थाएँ, महिला सशक्तीकरण, ग्राम पंचायत, महिला नेतृत्व, आरक्षण नीति, रीवा जिला, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन, महिला कल्याण योजनाएँ।

1. प्रस्तावना

पंचायती राज संस्थाओं की उत्पत्ति भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से जुड़ी हुई है, जिसे 1992 में लागू किया गया। इस संशोधन ने स्थानीय शासन को मजबूत करने और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत स्तर तक पंचायतों के गठन को अनिवार्य बना दिया। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों के विकास

Dated: 22th Dec 2025

में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल तथा पारदर्शी बनाना था (भटनागर, 2022)। इस प्रणाली के माध्यम से, पंचायती राज संस्थाओं ने यह सुनिश्चित किया कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की आवाज को महत्व दिया जाए और उनका प्रशासनिक स्तर तक प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। विशेष रूप से महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में, पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है। महिला सशक्तीकरण न केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करता है, बल्कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाने की दिशा में भी काम करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला अधिकार सम्मेलन और सतत विकास लक्ष्यों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं (अग्रवाल, 2015)। भारत में, महिला सशक्तीकरण को सरकार ने अपनी प्राथमिक नीति के रूप में स्वीकार किया है, और विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण प्रणाली लागू की गई है (यादव और सिंह, 2016)। इस संदर्भ में, यह अध्ययन पंचायती राज संस्थाओं की संरचना और उनके माध्यम से महिला सशक्तीकरण पर होने वाले प्रभावों को समझने का प्रयास करेगा, विशेष रूप से रीवा जिले के उदाहरण के माध्यम से।

अनुसंधान का उद्देश्य:

- पंचायती राज संस्थाओं की संरचना और कार्यप्रणाली का महिला सशक्तीकरण पर प्रभाव का विश्लेषण करना।
- रीवा जिले में महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति और उनके नेतृत्व के अवसरों का मूल्यांकन करना।
- महिला सशक्तीकरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लागू की गई सरकारी योजनाओं का अध्ययन करना।
- रीवा जिले में महिला सशक्तीकरण के प्रयासों की सफलता और चुनौतियों का मूल्यांकन करना।

2. पंचायती राज संस्थाओं की संरचना

पंचायती राज संस्थाएँ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की आधारशिला हैं, जिनकी त्रिस्तरीय संरचना ग्रामीण विकास को विकेंद्रीकृत शासन के माध्यम से सशक्त बनाती है। यह व्यवस्था ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत के स्तरों पर कार्य करती है, जो संवैधानिक रूप से सुदृढ़ है।

संरचना की परिभाषा

पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत से आरंभ होती है, जो एक या अधिक गाँवों को कवर करती है और ग्राम सभा-सभी पंजीकृत मतदाताओं की सामूहिक सभाकृप पर आधारित होती है (वर्मा और कुमार, 2013)। ग्राम पंचायत का सरपंच और सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं, तथा इसका कार्यक्षेत्र स्थानीय स्तर तक सीमित रहता है, जैसे गाँव की सफाई, जल निकासी, छोटे बुनियादी ढाँचे का रखरखाव। मध्य स्तर पर पंचायत समिति (ब्लॉक या प्रखंड समिति) कार्य करती है, जिसमें ग्राम पंचायतों के सरपंच प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं, तथा इसका अध्यक्ष ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) के अधीन कार्य करता है, यह स्तर विकास योजनाओं के नियोजन, निगरानी और वित्तीय वितरण का केंद्र होता है। सबसे ऊपरी स्तर जिला पंचायत (जिला परिषद) है, जो पूरे जिले के पंचायती राज कार्यों का समग्र नियंत्रण, समन्वय और बड़े पैमाने की योजनाओं (जैसे ग्रामीण सड़कें, सिंचाई परियोजनाएँ) का प्रबंधन करती है, तथा इसका अध्यक्ष जिला स्तर पर नीति-निर्धारण करता है (वर्मा और कुमार, 2013)। यह संरचना लचीली है—20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्य स्तर वैकल्पिक हो सकता है, तथा कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा में इसे अनुकूलित किया गया है।

संस्थाओं की कार्यप्रणाली

पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली विकेंद्रीकृत लोकतंत्र पर आधारित है, जहाँ प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारियाँ 11वीं अनुसूची के 29 विषयों (कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, लघु उद्योग, खनिज संसाधन ग्रामीण आवास,

Dated: 22th Dec 2025

पेयजल, ईंधन, सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण आदि) तक विस्तृत हैं (कपूर और सिंह, 2014)। ग्राम पंचायत के कार्यों में वार्षिक योजना निर्माण, कर संग्रह (घरकर, भूमि राजस्व), विवाद निपटान (जैसे सीमांत विवाद), सामाजिक कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन (मनरेगा, स्वच्छ भारत, पीएम आवास), तथा आपदा प्रबंधन शामिल हैं, यहाँ ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण की भूमिका निभाती है (बंसल और मेहता, 2017)। पंचायत समिति ग्राम पंचायतों की योजनाओं को एकीकृत कर ब्लॉक स्तर पर संसाधन वितरण करती है, कृषि विस्तार सेवाएँ प्रदान करती है, सहकारी समितियों का संचालन करती है, तथा सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आयोजित कर विकास प्राथमिकताएँ निर्धारित करती है। जिला पंचायत राज्य सरकार से वित्त पोषण प्राप्त कर जिला योजना तैयार करती है, तकनीकी सहायता प्रदान करती है, तथा आईसीडीएस, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी केंद्रीय योजनाओं का समन्वय करती है (कपूर और सिंह, 2014)। इनकी शक्तियाँ वित्तीय (राज्य वित्त आयोग से अनुदान), प्रशासनिक (कर्मचारी नियुक्ति) और न्यायिक (लघु विवाद) स्तर पर हैं, परंतु कार्यान्वयन में राज्य सरकार की भूमिका निर्णायक रहती है (बंसल और मेहता, 2017)।

संविधानिक आधार और अधिकार क्षेत्र

73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी) ने पंचायतों को भाग 9 (अनुच्छेद 243 से 243वे) में संविधानिक मान्यता प्रदान की, जिससे इन्हें राज्य सूची के विषयों पर अधिकार मिला (कुमार और यादव, 2019)। अनुच्छेद 243जी ने 11वीं अनुसूची जोड़ी, अनुच्छेद 243बी ने प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय ढाँचे का प्रावधान किया, अनुच्छेद 243डी/ई ने एससी/एसटी और महिलाओं (कम से कम 1/3 आरक्षण) के लिए सीटें आरक्षित कीं, तथा अनुच्छेद 243आई/के ने राज्य वित्त आयोग और स्वतंत्र चुनाव आयोग स्थापित किए। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का सुनिश्चित किया गया, तथा भंग होने पर 6 माह में चुनाव अनिवार्य। इससे पूर्व अशोक मेहता समिति (1977), जी.वी.के. राव समिति (1985) और एल.एम. सिंघवी समिति (1986) ने पंचायती राज को मजबूत बनाने की सिफारिशें कीं, लेकिन 73वें संशोधन ने इन्हें बाध्यकारी बनाया (कुमार और यादव, 2019)। हरियाणा जैसे राज्यों में यह जिला परिषद अधिनियम 1994 के माध्यम से लागू हुआ, जहाँ

ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, परंतु वित्तीय निर्भरता और क्षमता निर्माण चुनौतियाँ बनी रहीं। यह संशोधन सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संवैधानिक लक्ष्यों को साकार करता है।

3. पंचायती राज संस्थाओं और महिला सशक्तीकरण के बीच संबंध

पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण भारत में महिला सशक्तीकरण का प्रमुख साधन हैं, जहाँ आरक्षण व्यवस्था ने महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक नेतृत्व प्रदान किया है। यह संबंध न केवल प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन को भी गति प्रदान करता है (रानी और शर्मा, 2018)।

महिला प्रतिनिधित्व

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सत्तावनवें संविधान संशोधन के अंतर्गत कम से कम एक तिहाई सीटें तथा अध्यक्ष पद आरक्षित हैं, जो ग्राम पंचायत से जिला पंचायत तक सभी स्तरों पर लागू होते हैं, इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण भी सुनिश्चित किया गया है (रानी और शर्मा, 2018)। इससे महिलाओं की सदस्यता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है—वर्तमान में लगभग आधी से अधिक प्रतिनिधि महिलाएँ हैं, जो हरियाणा जैसे राज्यों में ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को वर्ष 1993 से कई गुना बढ़ा चुकी हैं, यद्यपि अनेक मामलों में पति के माध्यम से प्रॉक्सी भागीदारी चुनौती बनी हुई है। यह व्यवस्था न केवल राजनीतिक दृष्टि से महिलाओं को सशक्त बनाती है, अपितु उनके अधिकारों जैसे संपत्ति, शिक्षा तथा निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत करती है, जिससे ग्रामीण निर्णय प्रक्रिया में लैंगिक समानता की भावना विकसित होती है।

महिला नेतृत्व

महिला सरपंचों तथा अन्य पदाधिकारियों की भूमिका ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, विवादों के निपटारे तथा सामाजिक जागरूकता अभियानों में क्रांतिकारी सिद्ध हुई है, जहाँ वे जल संरक्षण, बाल विवाह रोकथाम, महिला स्वास्थ्य तथा स्वच्छता पर विशेष बल देती हैं (यादव और सिंह, 2016)। हरियाणा में आधी महिला सरपंचों ने पंचायतों में

लिंग समानता लाकर स्कूलों में बालिकाओं की उपस्थिति बढ़ाई तथा घरेलू हिंसा के विरुद्ध अभियान चलाए। तथापि चुनौतियाँ गंभीर हैं—पितृसत्तात्मक मानसिकता से उत्पन्न सामाजिक दबाव, वित्तीय संसाधनों तथा प्रशिक्षण की कमी, पारंपरिक धारणाएँ जो महिलाओं को केवल पारिवारिक भूमिकाओं तक सीमित रखती हैं, भ्रष्टाचार के आरोप तथा परिवार द्वारा वास्तविक नियंत्रण, ये सभी महिला नेतृत्व को बाधित करते हैं (यादव और सिंह, 2016)। इन बाधाओं को दूर करने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान आवश्यक हैं।

महिलाओं के लिए योजनाएँ और नीतियाँ

पंचायती राज संस्थाएँ महिला सशक्तीकरण हेतु अनेक योजनाएँ संचालित करती हैं, जैसे स्वरोजगार ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में एक तिहाई महिला भागीदारी सुनिश्चित करना, तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना द्वारा गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना (शर्मा और गुप्ता, 2021)। ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सूक्ष्म वित्त तथा उद्यमिता विकास, तथा बालिका शिक्षा अभियान का स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन प्रमुख हैं। हरियाणा में पंचायतों द्वारा बालिका शिक्षा तथा सुरक्षा संबंधी योजनाओं से बालिकाओं की शिक्षा दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि एकीकृत बाल विकास योजना के माध्यम से पोषण तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान कर रहे हैं (शर्मा और गुप्ता, 2021)। ये पहलें महिलाओं को आर्थिक तथा सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती हैं, यद्यपि प्रभावी निगरानी तथा क्षमता निर्माण से इन्हें और सशक्त किया जा सकता है।

4. रीवा जिले में पंचायती राज संस्थाओं का प्रभाव

रीवा जिले में पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण शासन व्यवस्था की रीढ़ हैं, जो न केवल विकास कार्यों को संचालित करती हैं बल्कि महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रही हैं। मध्य प्रदेश के इस जिले में 827 ग्राम पंचायतें, 9 जनपद पंचायतें

तथा एक जिला पंचायत महिलाओं को स्थानीय नेतृत्व प्रदान करके सामाजिक न्याय की दिशा में कार्य कर रही हैं (सिंह और मिश्रा, 2020)।

पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति

रीवा जिले में पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय संरचना अत्यंत मजबूत है, जिसमें ग्राम पंचायतें सबसे आधारभूत इकाई के रूप में कार्य करती हैं—ये 827 हैं जो ग्रामीणों की दैनिक समस्याओं जैसे जल आपूर्ति, सफाई, छोटे सड़क निर्माण तथा विवाद निपटान का दायित्व निभाती हैं। जनपद पंचायतें (जैसे सिरमौर, मऊगंज क्षेत्रीय) ग्राम पंचायतों के कार्यों का समन्वय करती हैं, विकास योजनाओं जैसे मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान तथा पोषण आहार वितरण का नियोजन व निगरानी करती हैं, जबकि जिला पंचायत पूरे जिले के लिए व्यापक नीतियाँ बनाती है जिसमें बजट वितरण, तकनीकी सहायता तथा राज्य सरकार से समन्वय शामिल है। कार्यप्रणाली में ग्राम सभाओं का नियमित आयोजन (विशेष रूप से गांधी जयंती पर), सामाजिक अंकेक्षण तथा वार्षिक योजनाएँ प्रमुख हैं, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आरक्षण तथा प्रशिक्षण पर केंद्रित रहती हैं (सिंह और मिश्रा, 2020)। यह संरचना जिले की भौगोलिक विविधता—पठारी इलाकों से लेकर वन क्षेत्रों तक—को ध्यान में रखकर विकसित की गई है, जिससे महिला सरपंचों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलती है।

महिला सशक्तीकरण की पहल

रीवा जिले की पंचायतों ने महिला सशक्तीकरण हेतु बहुआयामी प्रयास किए हैं, जिसमें 73वें संविधान संशोधन के तहत एक तिहाई से अधिक आरक्षण का कठोर कार्यान्वयन प्रमुख है, जिससे महिलाएँ सरपंच, उप सरपंच तथा सदस्य के रूप में सक्रिय हुई हैं। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से महिला नेताओं को नेतृत्व कौशल, वित्तीय प्रबंधन तथा कानूनी अधिकारों का प्रशिक्षण दिया जाता है, उदाहरणस्वरूप मनगवां क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह सम्मेलनों ने हजारों महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा। अन्य पहलें हैं—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सूक्ष्म ऋण वितरण, लाड़ली लक्ष्मी योजना का पंचायत स्तर पर प्रचार, बालिका शिक्षा हेतु ग्राम सभाओं में विशेष प्रस्ताव तथा एकीकृत बाल विकास योजना के माध्यम से एंगनवाड़ी केंद्रों का

सशक्तिकरण (सैनी और सूद, 2014)। इन प्रयासों से ग्रामीण महिलाएँ पंचायत बजट निर्माण में भाग ले रही हैं, जो पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान क्षेत्र था, तथा जिले को महिला सशक्तीकरण का मॉडल बनाया है।

सफलताएँ और चुनौतियाँ

रीवा जिले में पंचायती राज संस्थाओं की सफलताएँ उल्लेखनीय हैं—महिला सरपंचों ने जल संरक्षण परियोजनाओं से सिंचाई सुविधाएँ बढ़ाई, मनरेगा में महिला श्रमिकों की भागीदारी 45 प्रतिशत तक पहुँचाई, बाल विवाह दर में कमी लाई तथा स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं को उद्यमिता प्रदान की, जिससे गाँवों में आर्थिक स्वावलंबन आया (भटनागर, 2022)। उदाहरणस्वरूप, कई महिला सरपंचों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जो स्थानीय नेतृत्व की प्रेरणा बनते हैं। तथापि चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं—सामाजिक रूढ़ियाँ जैसे 'सरपंच पति' प्रथा, सांस्कृतिक बाधाएँ जो महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से दूर रखती हैं, आर्थिक असमानताएँ (वित्तीय संसाधनों की कमी), जातीय प्रभाव जो निर्णयों को प्रभावित करते हैं, प्रशिक्षण की अपर्याप्तता तथा पारिवारिक दबाव, ये सभी वास्तविक सशक्तीकरण को सीमित करते हैं (भटनागर, 2022)। इनसे पार पाने हेतु निरंतर क्षमता निर्माण, सामाजिक जागरूकता अभियान तथा वित्तीय स्वायत्तता आवश्यक है, ताकि रीवा मॉडल पूरे देश के लिए प्रेरणा बने।

5. महिला सशक्तीकरण पर पंचायती राज संस्थाओं के प्रभाव का मूल्यांकन

पंचायती राज संस्थाएँ महिला सशक्तीकरण पर गहन तथा बहुआयामी प्रभाव डाल रही हैं, जो सामाजिक संरचनाओं को पुनर्निर्मित कर रही हैं तथा ग्रामीण महिलाओं को तीनों आयामों—सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संबंधी—में सशक्त बना रही हैं। इनका समग्र मूल्यांकन दर्शाता है कि विकेंद्रीकृत शासन ने लैंगिक असमानता की जड़ों को कमजोर किया है, यद्यपि पूर्ण परिपक्वता हेतु निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

सामाजिक और राजनीतिक बदलाव

पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति में मूलभूत परिवर्तन उत्पन्न किया है, क्योंकि आरक्षण व्यवस्था ने उन्हें गाँव की सार्वजनिक मंचों पर ला खड़ा किया,

Dated: 22th Dec 2025

जहाँ वे पहले अदृश्य थीं। अब महिलाएँ ग्राम सभाओं में कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह तथा लिंग भेदभाव के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करा रही हैं, जिससे परिवारों में उनकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी तथा समुदाय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ, उदाहरणस्वरूप, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सरपंचों ने सामाजिक बहिष्कार की धमकियों के बावजूद सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया (पाटिल और रेडी, 2013)। राजनीतिक दृष्टि से, पंचायत चुनावों में महिलाओं की बढ़ती प्रतिस्पर्धा—जिसमें वे स्वतंत्र रूप से प्रचार करती हैं तथा मतदाताओं को संबोधित करती हैं—ने शक्ति का विकेंद्रीकरण सुनिश्चित किया, हालाँकि प्रॉक्सी नेतृत्व जैसी प्रथाएँ अभी भी व्याप्त हैं। इससे महिलाओं को न केवल मतदान का अधिकार मिला, अपितु नीति निर्माण तथा बजट आवंटन में प्रत्यक्ष भागीदारी प्राप्त हुई, जो लोकतंत्र को गहराई प्रदान करती है तथा भावी राजनीतिक नेतृत्व का आधार तैयार कर रही है।

आर्थिक प्रभाव

पंचायती राज संस्थाओं के आर्थिक कार्यक्रमों ने महिलाओं को परंपरागत निर्भरता से मुक्त कर स्वावलंबी बनाया है, विशेषकर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जो सूक्ष्म ऋण, कौशल प्रशिक्षण तथा बाजार संपर्क प्रदान करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में एक तिहाई आरक्षण से महिलाओं को वर्ष भर मजदूरी मिली, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने पशुपालन, डेयरी इकाइयों, हस्तशिल्प तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसे स्वरोजगार को बढ़ावा दिया, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण महिलाओं की औसत मासिक आय में 35–50 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई तथा बचत आदतें विकसित हुई (सिंह और मिश्रा, 2020)। पंचायतें स्वयं कर संग्रह तथा योजनाओं के बजट निर्माण में महिलाओं को शामिल करती हैं, जिससे संपत्ति अधिकारों की जागरूकता बढ़ी तथा भूमि पट्टों में महिलाओं का नाम दर्ज होने की प्रवृत्ति प्रबल हुई। यह आर्थिक सशक्तीकरण परिवार नियोजन तथा बाल कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत महिला समग्र परिवार को उन्नत करती है।

शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार

शिक्षा के क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाएँ महिलाओं तथा बालिकाओं हेतु क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं, जहाँ ग्राम पंचायतें स्कूल भवनों का निर्माण, शिक्षकों की उपस्थिति निगरानी तथा छात्रवृत्ति वितरण करती हैं, परिणामतः ग्रामीण बालिका साक्षरता दर 20 वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई तथा ड्रॉपआउट दर घटी। महिला सरपंचों ने विशेष ग्राम सभाओं में बालिका शिक्षा हेतु प्रस्ताव पारित किए, जैसे साइकिल वितरण तथा मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार, जिससे दूसरी पीढ़ी की महिलाएँ शिक्षित हो रही हैं (रानी और शर्मा, 2018)। स्वास्थ्य सुधारों में पंचायतें एंगनवाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाती हैं, टीकाकरण शिविर आयोजित करती हैं तथा जननी सुरक्षा योजना से गर्भवती महिलाओं को नकद सहायता पहुँचाती हैं, जिससे मातृ मृत्यु दर में कमी आई तथा कुपोषण रोग घटे। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण ने महिलाओं की गरिमा रक्षा की, जबकि स्वास्थ्य जागरूकता से एनीमिया तथा प्रसव संबंधी जटिलताएँ न्यून हुईं। ये प्रयास व्यक्तिगत सशक्तीकरण से आगे बढ़कर समुदाय की समग्र उन्नति सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि शिक्षित तथा स्वस्थ महिला समाज का आधार होती है।

निष्कर्ष

पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय संरचना ने ग्रामीण भारत में महिला सशक्तीकरण को गहन रूप प्रदान किया है, जहाँ 73वें संविधान संशोधन के आरक्षण प्रावधानों ने महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व, आर्थिक स्वावलंबन तथा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। रीवा जिले के उदाहरण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायतों से लेकर जिला पंचायत तक की संस्थाएँ महिला सरपंचों, स्वयं सहायता समूहों तथा कल्याण योजनाओं (मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के माध्यम से सफलताएँ अर्जित कर रही हैं, जैसे बालिका शिक्षा दर में वृद्धि, मातृ स्वास्थ्य सुधार तथा आय में 35–50 प्रतिशत वृद्धि। यद्यपि पितृसत्तात्मक मानसिकताएँ, प्रॉक्सी नेतृत्व, वित्तीय निर्भरता तथा क्षमता निर्माण की कमी जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, निरंतर प्रशिक्षण, सामाजिक जागरूकता तथा वित्तीय स्वायत्तता से ये दूर की जा सकती हैं। समग्र रूप से, पंचायती राज व्यवस्था ने विकेंद्रीकृत लोकतंत्र को सशक्त

Dated: 22th Dec 2025

कर महिलाओं को समाज निर्माण का आधार बनाया है, जो सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में भारत के ग्रामीण परिवर्तन का प्रतीक है (भटनागर, 2022)।

संदर्भ

- भटनागर, आर. (2022). पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण: ग्रामीण भारत का एक अध्ययन। सेज पब्लिकेशंस।
- शर्मा, एस., और गुप्ता, ए. (2021). स्थानीय शासन में महिलाएं: पंचायती राज व्यवस्था में चुनौतियां और अवसर। इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 82(3), 45–58.
- सिंह, पी., और मिश्रा, डी. (2020). ग्रामीण भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रूरल स्टडीज, 8(2), 112–126.
- कुमार, वी., और यादव, आर. (2019). भारत में विकेंद्रीकरण और महिला सशक्तिकरण: पंचायती राज व्यवस्था का एक केस स्टडी। एशियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 41(4), 334–350.
- रानी, एस., और शर्मा, एम. (2018). पंचायती राज में लैंगिक समावेशिता: नीतिगत सुधार और उनका कार्यान्वयन। जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज, 27(2), 245–259.
- बंसल, एस., और मेहता, आर. (2017). शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में पंचायती राज की भूमिका। जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 36(1), 45–62.
- यादव, एन., और सिंह, पी. (2016). पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी: एक अनुभवजन्य अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 62(2), 103–118.
- अग्रवाल, एस. (2015). ग्रामीण भारत में पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण: एक केस स्टडी दृष्टिकोण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, 10(4), 225–239.

Dated: 22th Dec 2025

कपूर, ए., और सिंह, आर. (2014). पंचायती राज और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी: ग्रामीण भारत में मुद्दे और चुनौतियाँ। पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, 9(3), 210–225.

सैनी, ए., और सूद, ए. (2014). पंचायती राज में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का स्थानीय विकास पर प्रभाव। जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, 21(1), 89–103.

भगत, आर., और घोष, डी. (2013). पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त बनाना: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, 7(1), 115–132.

सिंह, एस. पी. (2013). भारत में विकेन्द्रीकृत शासन और महिला सशक्तिकरण: पंचायती राज प्रणाली का एक अध्ययन। जर्नल ऑफ रूरल गवर्नेंस, 22(3), 111–125.

जैन, एस. के., और मेहता, के. (2013). विकेन्द्रीकृत शासन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण: राजस्थान में पंचायती राज संस्थानों से सीख। जेंडर एंड डेवलपमेंट, 21(3), 457–470.

वर्मा, एस., और कुमार, आर. (2013). लैंगिक असमानता को कम करने में पंचायती राज की भूमिका: उत्तर प्रदेश का एक केस स्टडी। जर्नल ऑफ इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, 74(2), 214–225.

पाटिल, पी., और रेड्डी, एस. (2013). पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन: महाराष्ट्र से एक विश्लेषण। इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज, 20(4), 431–535